

Form 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the
101- AJMER SOUTH (SC) Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Smt. ANITA BHADEL

646/28, VIKRAM MARG, BHAJAN GANJ, AJMER

sponsored by **BHARATIYA JANTA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place – AJMER

Dated—03-12-2023



(SHIVAKSHI KHANDAL)

Returning Officer
Sub-Divisional Officer
101- Ajmer South (SC) Assembly Constituency
Sub-Divisional Magistrate Ajmer
(Sub-Divisional Officer & Sub-Divisional Magistrate Ajmer)
Assembly Constituency Ajmer South (101)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन
निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

101- अजमेर दक्षिण (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन- क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की
विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,
1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करती हूँ कि -

श्रीमती अनिता भदेल

646/28, विक्रम मार्ग, भजन गंज, अजमेर

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़ी की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से
निर्वाचित हो गई हैं।

स्थान:- अजमेर

दिनांक - 03.12.2023



(शिवाक्षी खांडल)

रिटर्निंग ऑफिसर

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा क्षेत्र 101 अजमेर दक्षिण(अ.जा.)
उपखण्ड अधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर, अजमेर
वि.स. क्षेत्र अजमेर दक्षिण (101)